नियंत्रक
स्वशासी परीक्षा
दूरभाष : 0788-2212030

प्राचार्य
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) 491001,
दूरभाष/फैक्स : 0788-2359688
वेबसाइट : www.govtsciencecollegedurg.ac.in

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा A^+ ग्रेड प्रदत्त महाविद्यालय)

क्रमांक / Ref. No. 1857/Auto/2023 दुर्ग / Durg / दिनांक / Date : 25.02.23

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्वशासी परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के अध्यादेश क्र. 11–21–23 के अंतर्गत)

- स्नातक स्तर की वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा प्रति वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से अंतिम सप्ताह तक एवं वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- स्नातक स्तर की पूरक परीक्षा प्रतिवर्ष अगस्त के अंतिम या सितम्बर के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
- स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा आवेदन पत्र 30 नवम्बर तक एवं विलम्ब शुल्क सहित 10 दिसम्बर तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। इन तिथियों में परिवर्तन होने की दशा में इस संबंध में सूचना महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगाई जाएगी।
- स्नातक स्तर पर हिन्दी भाषा व अंग्रेजी भाषा में पृथक रूप से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 35% अंक अर्थात् 75 में से 26 अंक आवश्यक हैं।
- स्नातक स्तर पर अन्य विषयों में (हिन्दी भाषा व अंग्रेजी भाषा को छोड़कर) उत्तीर्ण होने के लिए 33% प्राप्तांक (11/33,17/50,25/75) अनिवार्य है।
- स्नातक स्तर पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में अलग–अलग उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है।
- स्नातक स्तर में एक विषय में अनुत्तीर्ण होने पर ही पूरक परीक्षा की पात्रता होगी।
- स्नातक स्तर पर अधिकतम कुल 3 अंकों के कृपांक (Grace) का प्रावधान है, जो कि अधिकतम दो विषयों में ही देय होगा। पूरक परीक्षा में 1 अंक का कृपांक (Grace) दिया जा सकेगा।
- स्नातक स्तर पर पुनर्मूल्यांकन एवं पुर्नगणना हेतु आवेदन पत्र मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर जमा करना अनिवार्य है।
- स्नातक स्तर पर अधिकतम दो प्रश्न पत्रों में ही पुनर्मूल्यांकन तथा सभी सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में पुनर्गणना की पात्रता होगी। दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी। स्नातक स्तर पर दो विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अनुत्तीर्ण विषय के एक–एक प्रश्न–पत्र में पुनर्मूल्यांकन की पात्रता रखता है। इसके अतिरिक्त शेष विषयों में उसे 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- पूरक परीक्षार्थी (प्रथम व द्वितीय प्रयास) को पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
- पुनर्मूल्यांकन के परिणाम यदि किसी परीक्षार्थी के लिये संतोषप्रद नहीं है, तो वह निर्धारित शुल्क जमा करके उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त कर 15 दिनों के अंदर पुनः पुनर्मूल्यांकन के लिये नियमानुसार आवेदन की पात्रता रखता है।
- भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देने की पात्रता उसी परीक्षार्थी को होगी जो मुख्य/पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ हो।

नियंत्रक
स्वशासी प्रकोष्ठ
CONTROLLER
AUTONOMOUS EXAMINATIONS
GOVT. V.Y.T.P.G. AUTO.COLLEGE
DURG (C.G.)

प्राचार्य
शास. वि.या.ता. स्नातकोत्तर स्वशासी
महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous
College.Durg.(C.G.)

नियंत्रक
स्वशासी परीक्षा
दूरभाष : 0788-2212030

प्राचार्य
शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.) 491001,
दूरभाष/फैक्स : 0788-2359688
वेबसाइट : www.govtsciencecollegedurg.ac.in
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा A+ ग्रेड प्रदत्त महाविद्यालय)

क्रमांक / Ref. No. 1857/Auto/2023 — दुर्ग / Durg / दिनांक / Date : 25.02.23

स्नातकोत्तर स्वशासी परीक्षा हेतु सामान्य निर्देश

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के अध्यादेश क्र. 06–13–22–79–170 के अंतर्गत)

- स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की मुख्य/ATKT (Allow to keep term) परीक्षा नवंबर के अंतिम अथवा दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है।
- स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की मुख्य/ATKT (Allow to keep term) परीक्षा अप्रैल के अंतिम अथवा मई के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है।
- स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा सितम्बर माह के अंतिम सप्ताह तथा द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
- स्नातकोत्तर स्तर पर द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तथा द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी।
- स्नातकोत्तर स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में एक सेमीनार का आयोजन भी अनिवार्य है, जिसकी तिथि विभागाध्यक्ष सुविधानुसार निर्धारित करेंगे।
- स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को प्रत्येक विषय की न्यूनतम एक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर परीक्षार्थी सेमेस्टर परीक्षा के लिए अपात्र माना जाएगा। ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा फॉर्म संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रेषित न किया जाए।
- प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा, प्राचार्य की अनुमति से सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में आयोजित की जाएगी, परन्तु यह परीक्षा 24 दिसम्बर तक आयोजित करना अनिवार्य है।
- द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा, प्राचार्य की अनुमति से सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्व अथवा बाद में आयोजित की जाएगी, परन्तु यह परीक्षा 25 मई तक आयोजित करना/ अनिवार्य है।
- स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन एवं सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में अहर्तांक (Qualifying Marks) 20% अर्थात 20 में से 04 तथा 80 में से 16 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में पृथक–पृथक रूप से कुल 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
- अधिकतम तीन अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में ATKT (Allow to keep term) की पात्रता होगी, जिसके लिये मुख्य सेमेस्टर परीक्षा के अतिरिक्त केवल दो ही अवसर दिये जायेंगे।
- यदि परीक्षार्थी जिसने प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त किए परन्तु पास करने के लिए न्यूनतम 36% अंक प्राप्त नहीं किया है, वह संबंधित सेमेस्टर की अगली परीक्षा में अपनी पसंद के किसी भी दो थ्योरी पेपर में फिर से परीक्षा देगा ताकि न्यूनतम अंक प्राप्त किया जा सके। कुल मिलाकर सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित अंक प्राप्त कर सके।
- प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT (Allow to keep term) होने पर द्वितीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी।

क्रमशः पेज क्र...2

- एक सेमेस्टर में कुल एक अंक कृपांक की पात्रता होगी।
- प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होने पर तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- प्रथम सेमेस्टर में उत्तीर्ण/ATKT किंतु द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT आने पर तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होगी।
- प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT आने पर तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम प्रयास (First Chance) की पात्रता होगी। इसमें पुनः अनुत्तीर्ण/ATKT प्राप्त होने पर भूतपूर्व छात्र (Ex-Student) के रूप में अंतिम प्रयास (Last Chance) की पात्रता होगी।
- द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT आने पर चतुर्थ सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम प्रयास (First Chance) की पात्रता होगी। इसमें पुनः अनुत्तीर्ण/ATKT प्राप्त होने पर भूतपूर्व छात्र (Ex-Student) के रूप में अंतिम प्रयास (Last Chance) की पात्रता होगी।
- प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण/ATKT होने पर चतुर्थ सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक दिया जाएगा। अंतिम प्रयास (Last Chance) के अंतर्गत पूर्व सेमेस्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा स्वमेव निरस्त हो जाएगी।
- ATKT (Allow to keep term) प्राप्त प्रश्न पत्रों में आंतरिक मूल्यांकन के पूर्व में प्राप्त अंक ही मान्य होंगे।
- स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण/ATKT प्राप्त परीक्षार्थियों के द्वारा अर्जित किए गए उत्तीर्ण प्रायोगिक परीक्षा के अंक यथावत मान्य होंगे।
- स्नातकोत्तर स्तर पर पुनर्मूल्यांकन की सुविधा पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. के अध्यादेश 170 तथा अधिसूचना क्र.– 1408/परीक्षा/2012 रायपुर, दिनांक 24.05.2012 के अनुसार समाप्त की गई है। सभी सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों की पुनगर्णना के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा में दो से अधिक प्रश्न पत्रों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
- स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर परीक्षा के भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा देने की पात्रता उसे होगी जो मुख्य परीक्षा मे अनुत्तीर्ण हुआ हो/प्रवेश लेने के बाद आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की न्यूनतम अर्हताएँ पूर्ण करता हो।

नियंत्रक
स्वशासी प्रकोष्ठ
CONTROLLER
AUTONOMOUS EXAMINATIONS
GOVT. V.Y.T.P.G. AUTO.COLLEGE
DURG (C.G.)

प्राचार्य
शास. वि.या.ता. स्नातकोत्तर स्वशासी
महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
Principal
Govt.V.Y.T.P.G. Autonomous
College.Durg.(C.G.)